रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 342] दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 7, 2017/भाद्र 16, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 250
No. 342] DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 7, 2017/BHADRA 16, 1939 [N.C.T.D. No. 250

भाग—IV
PART—IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह पुलिस – II विभाग

(कार्यालय उपायुक्त पुलिसः यातायातः मुख्यालय : दिल्ली)

अधिसूचना

दिल्ली, 7 सितम्बर, 2017

सं. फा. 20/4/2003/ गृ.पु.–II/7335.—जबकि, रायसीना रोड पर संसद सत्रों के दौरान यातायात की सघनता के कारण यातायात के सुगम एवं सुरक्षित प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है और इससे वाहन चालकों एवं अन्य सड़क प्रयोगकर्ताओं को असुविधा उत्पन्न होती है;

और जबकि, यातायात के सुगम एवं सुरक्षित प्रवाह को सुनिश्चित करने और वाहन चालकों एवं अन्य सड़क प्रयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए रायसीना रोड पर यातायात के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए यह करना आवश्यक है;

अतः मैं, असलम खान, उपायुक्त पुलिस, यातायात (मुख्यालय) दिल्ली, दिल्ली में सड़कों व गलियों पर वाहन व अन्य यातायात नियम, 1980 की धारा 21 जिसके अन्तर्गत मुझे अधिकार प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा रायसीना रोड पर कृषि भवन गोल चक्कर से नॉर्थ फाउंटेन तक अगले आदेश तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए संसद सत्रों के दौरान 24 घंटे 'एकतरफा मार्ग' घोषित करती हूँ।

सामान्य जनता के सूचनार्थ इस आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा समस्त जिला पुलिस उपायुक्तों व थानों दिल्ली/नई दिल्ली के सूचना पट्टों पर इसकी एक प्रति चिपकाई जाएगी ।

सबंधित अधिकरण एवम् सड़क रख–रखाव प्राधिकरण जन साधारण को सूचनार्थ एवम् सुविधा हेतु आवश्यक संकेत पट्ट पर प्रतिबंधित संकेत को इंगित करते हुए लगाएंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनाँक 07/09/2017 को जारी किया गया ।

असलम खान, उपायुक्त पुलिस

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

(OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE TRAFFIC HQ: DELHI)

NOTIFICATION

Delhi, the 7th September, 2017

F. No. 20/4/2003/HP-II/7335.—Whereas, during Parliament Sessions volume of traffic remains heavy on Raisina Road, New Delhi which causes obstruction in smooth & safe flow of traffic and inconvenience to motorists and other road users;

And whereas, it is necessary to regulate the movement of traffic on Raisina Road, New Delhi to ensure smooth & safe flow of traffic and for convenience of motorists and other road users;

Now, therefore, I, Aslam Khan, Deputy Commissioner of Police/Traffic (HQ), Delhi in exercise of the powers, conferred upon me under Regulation 21 of the Delhi Control of Vehicular and Other Traffic on Roads and Street Regulations, 1980 do hereby declare Raisina Road, New Delhi 'One Way' for all type of vehicles from Round About Krishi Bhawan to North Fountain for 24 hours during Parliament Sessions, till further orders.

This order shall be published for information of the general public in the official gazette and by affixing a copy on the notice boards of the office of all District Deputy Commissioner of Police and all Police Stations in Delhi/New Delhi.

The concerned civic road agencies maintaining the roads/areas shall erect the corresponding informatory signboards indicating the restrictions in the area for guidance and convenience of all concerned.

This order shall come into force with immediate effect.

Given under my hand and seal of this office on 07/09/2017.

ASLAM KHAN, Dy. Commissioner of Police

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.09.11 14:58:36 +05'30'